कन्टेम्प्ट/टी.ए./171/2011/जोधपुर
रेखा बनाम लक्ष्मण सिंह

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

खण्ड पीठ
श्री सी. आर. मीना, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी
श्री योगेन्द्र सिंह, श्री मदन लाल गुर्जर,
श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, अभि0 अप्रार्थी

दिनांक : 02.03.2023

निर्णय

यह कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 1886/2010 में पारित आदेश दिनांक 19–5–2010 की अवमानना करने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही कर दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र से संबंधित अपील संख्या 1886/2010 आज निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में यह कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(सी. आर. मीना)
सदस्य

</td><td></td></tr>
</table>